"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 163] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 5 मई 2011—वैशाख 15, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 मई 2011

क्रमांक 3290/112/21-अ/प्रा./छ. ग./11.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 03-05-2011 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 11 सन् 2011)

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2011

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

धारा 7 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 7 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परन्तु राज्य शासन अथवा इसकी एजेन्सी के द्वारा इस प्रयोजन के लिए दी गई अहस्तांतरणीय लीज (जो 30 वर्षों से कम की नहीं होगी) मान्य होगी."

धारा 9 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के परन्तुक में अंक एवं शब्द "6 माह" के स्थान पर अंक एवं शब्द "2 वर्ष" प्रतिस्थापित किए जाएं.

रायपुर, दिनांक 5 मई 2011

क्रमांक 3290/112/21-अ/प्रा./छ. ग./11.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 11 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 11 of 2011)

CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND OPERATION) (AMENDMENT) ACT, 2011

An Act further to amend the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty second year of the Republic of India, as follows :—

Short title, extent and Commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) (Amendment) Act, 2011.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 7.

2. After clause (b) of sub-section (2) of Section 7 of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005) (hereinafter referred to as the Principal Act), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that non transferable lease (not less than 30 years), given for the purpose, by State Government or its Agency shall be admissible."

Amendment of Section 9.

3. In proviso to sub-section (2) of Section 9 of the Principal Act, for the figure and word "6 months" the figure and word "2 years" shall be substituted.

सचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित